

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बिन्दु
जनपद— बुलन्दशहर
दिनांक— 26.12.2017 से 30.12.2017

पर्यवेक्षक—

- डा० पंकज सक्सेना,डी०जी०एम०,परिवार कल्याण,एस०पी०एम०य००,एन०एच०एम०,लखनऊ।
- नीलिमा पाठक,सलाहकार ,ब्लड सेल ,एस०पी०एम०य००,एन०एच०एम०,लखनऊ।
- सरिता गुप्ता,स्टेट आशा प्रोग्राम मैनेजर,ए०आर०सी,एस०पी०एम०य००,एन०एच०एम०,लखनऊ।

मिशन निवेशक एन०एच०एम० के पत्रांक एस.पी.एम.य० / एन.एच.एम. / एम.एण्ड.ई./2017-18 / 18 / 9853-2-9 दिनांक 20.12.2017 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 27.12.2017 से 29.12.2017 तक जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित चिकित्सा इकाईयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया—

- दिनांक 26.07.2017 को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर०सी०एच० तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई के अधिकारियों के साथ जनपद की चिकित्सा इकाईयों के भ्रमण के सम्बन्ध में बिचार—विमर्श किया गया।
- दिनांक 27.12.2017 को सामु०स्वा०केन्द्र गुलावटी,बी०एच०एन०डी० सत्र ग्राम भटौना,कैथाला तथा आर०बी०एस०के० टीम का कार्य आंगनवाड़ी केन्द्र खुशहालपुर तथा नवीन चयनित आशा प्रशिक्षण अचन प्रशिक्षण केन्द्र पर पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 28.12.2017 संयुक्त चिकित्सालय सिकन्दराबाद,नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायस्थबाड़ा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धरपा का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 29.12.2017 को उपकेन्द्र बरौली गासुदेवपुर,जिला चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालय बुलन्दशहर का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 30.12.2017 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारियों के साथ बिचार—विमर्श किया गया।

दिनांक	Major Findings from the Visit Site	Intervention/Activities Identified	Level of Intervention
27.12.2017	<u>बी०एच०एन०डी० सत्र—</u> <ul style="list-style-type: none"> • बी०बी०एच०एन०डी० सत्र पर ए०एन०एम० द्वारा ए०एन०सी० के अन्तर्गत पेट की जाँच,परामर्श तथा परिवार कल्याण परामर्श नहीं किया जा रहा था तथा एन०एच०एम० द्वारा प्रदत्त कराये गये पंजिका का उपयोग नहीं किया जा रहा है। • अतिकृपोषित बच्चों को चिन्हित नहीं किया गया था। • आशा द्वारा ड्यू लिस्ट तैयार नहीं की गई थी। • लक्ष्य दम्पति की सूची उपलब्ध नहीं थी। • क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में पाया गया कि आशा द्वारा बी०एच०आई०आर० पंजिका पर सूचनाओं का अंकन सही से नहीं किया जा रहा है। 	चिकित्सा अधीक्षक तथा बी०सी०पी०एम० को समस्त आवश्यक जाँच व अन्य व्यवस्था हेतु अवगत कराया गया। ए०एम०एम० तथा आशा की साप्ताहिक/मासिक बैठक में नियमित रूप से लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये।	अधीक्षक स्तर से एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।
	<u>प्रसव कक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुलावटी</u> <ul style="list-style-type: none"> • प्रसव कक्ष में साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी। • प्रसव कक्ष में प्रचार—प्रसार से सम्बन्धित प्रोटोटाइप नहीं लगे थे। • प्रसव कक्ष में रूम हीटर/ ब्लोअर की व्यवस्था नहीं थी। • प्रसव पंजिका का रख—रखाव सही नहीं था तथा कम वजन के नवजात की देखभाल से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। • बेबी कार्नर कियाशील नहीं था। • एच०आर०पी० से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। 	अधीक्षक को प्रसव कक्ष में रूम हीटर की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया। अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रसव कक्ष में रूम हीटर उपलब्ध करा दिया गया। स्टाफ नर्स को प्रसव पंजिका के रख—रखाव के बारे में निर्देशित किया गया। स्टाफ नर्स तथा बी०सी०पी०एम० को कम वनज के नवजात की पंजिका तैयार करने तथा उनके देखभाल की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।	अधीक्षक के स्तर से तत्काल व्यवस्था की गई।
	<u>आर० बी०एस०के०टीम गुलावटी</u> <ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सा इकाई से दोनों टीमें क्षेत्र में जा चुकी थी। 	चिकित्सा अधीक्षक तथा आर०बी०एस०के० नोडल अधिकारी।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन०एच०एम० तथा नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० द्वारा

	<ul style="list-style-type: none"> मूबमेन्ट पंजिका का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों टीमें आंगनवाड़ी केन्द्र खुशहानपुर गई हैं। मूबमेन्ट पंजिका में सूचनाओं का अंकन सही से नहीं हो रहा था। नोडल आरोबी0एस0के0 को अपने समक्ष स्वयं पंजिका में कालम तैयार कर सही से सूचनाओं के अंकन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। आंगनवाड़ी केन्द्र गुलावटी पर आरोबी0एस0के0 टीम 02 का क्षेत्रीय सत्यापन किया। टीम द्वारा 120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था किन्तु भ्रमण के समय कोई भी बच्चा केन्द्र पर उपस्थित नहीं था। भ्रमण के दौरान पाया गया कि आरोबी0एस0के0 टीम के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त बच्चों को दवा का वितरण नहीं किया जा रहा था। टीम के पर्यवेक्षण में पाया गया कि बच्चों की स्क्रीनिंग के उपरान्त वितरण हेतु आवश्यकतानुसार औषधि की उपलब्धता नहीं थी। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध कार्ड मानक अनुरूप नहीं था। ए0-4 साइज पेपर पर फोटोकापी किया हुआ था। 	<p>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच तथा चिकित्सा अधीक्षक को उक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश प्रदान किया गया।</p>	आगामी 15 दिन में कर लिया जायेगा।
	<p>नवीन चयनित आशा प्रशिक्षण— अचल प्रशिक्षण केन्द्र ,खुर्जा रोड,बुलन्दशहर</p> <ul style="list-style-type: none"> नवीन आशा प्रशिक्षण आवासीय प्रशिक्षण है किन्तु पाया गया कि आशाओं द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर निवास नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कुल 33 आशायें उपस्थित थीं जिसमें स्थाना ब्लाक की 19 आशायें व भरपा ब्लाक की 14 आशायें शामिल थीं। भ्रमण के दौरान प्रशिक्षण में 3 प्रशिक्षक उपस्थित थे, जिसमें से एक प्रशिक्षक श्रीप्रधान जोकि प्रारम्भिक प्रशिक्षण में टी0ओ0टी0 प्राप्त नहीं किया है, के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वितरण किये गये माडूल को कलर प्रिन्ट नहीं करवाया गया था। साफ-सफाई व प्रशिक्षण कक्ष में लाइट की व्यवस्था असंतोषजनक नहीं थी। प्रशिक्षण कक्ष का आकार छोटा था जिससे ग्रुप वर्क करवाना बहाँ सम्भव नहीं था। 	<p>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच तथा डी0सी0पी0एम0 को उक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश प्रदान किया गया। साथ ही जो प्रशिक्षक नवीन आशा प्रारम्भिक मूँडूल में प्रशिक्षित नहीं थे उनको तुरन्त प्रशिक्षण से हटाने को कहा गया।</p>	<p>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 तथा डी0सी0पी0एम0 द्वारा तत्काल कार्यवाही पूर्ण की गई।</p>
दिनांक 28.12.2017	<p>संयुक्त जिला चिकित्सालय सिकन्दराबाद (प्रथम सन्दर्भन इकाई) चिकित्सा इकाई के प्रसव कक्ष की व्यवस्था—</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में 7 ट्रे की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। प्रसव कक्ष में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी। प्रसव प्रोटोकाल से सम्बन्धित आई0ई0सी0 का प्रदर्शन पूर्ण नहीं था। प्रसव कक्ष में रूम हीटर/ ब्लोअर की व्यवस्था नहीं थी। एन0एच0एम0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रसव पंजिका का उपयोग नहीं हो रहा है। पार्टोग्राफ तैयार नहीं किया जा रहा है। 102 पंजिका का रख-रखाव मानक अनुरूप नहीं था। जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत डाइट पंजिका तैयार नहीं किया जा रहा था। एच0आर0पी0 की कोई संकलित सूचना नहीं थी तथा उनका कोई फालोअप नहीं किया जा रहा था। अप्रैल से माह नवम्बर 2017 तक कुल 05 सीजेरियन प्रसव हुए हैं। अप्रैल से 27 दिसम्बर 2017 तक कुल 1620 प्रसव हुए हैं। प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स श्रीमती रेनू यादव एस0बी0ए0 प्रशिक्षित नहीं है। <p>पी0 एन0सी0 वार्ड—</p>	<p>प्रसव कक्ष में मानकअनुरूप समस्त व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक तथा सम्बन्धित महिला चिकित्सक को निर्देशित किया। अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रसव कक्ष में रूम हीटर की व्यवस्था करा दी गई। स्टाफ नर्स को एस0बी0ए0 प्रशिक्षण कराने हेतु डी0पी0एम0 को निर्देशित किया। 102 एम्बुलेन्स से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने हेतु अधीक्षक तथा प्रसव कक्ष में नियुक्त स्टाफ नर्स को निर्देशित किया। लाभर्थीयों को वितरित किये जाने वाले जे0एस0एस0के0 के भोजन की पंजिका तैयार करवाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया। एच0आर0पी0 लाभर्थी की स्क्रीनिंग तथा उनके अभिलेखों के रख-रखाव हेतु महिला चिकित्सक को निर्देशित किया गया तथा किस प्रकार पंजिका तैयार की जानी है उसके विषय में भी जानकारी</p>	<p>चिकित्सा अधीक्षक एवं महिला चिकित्सक द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रसव कक्ष में हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गई।</p>

	<ul style="list-style-type: none"> पी0एन0सी0 वार्ड में साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। खिडकियों पर परदे नहीं लगे थे। भ्रमण के समय वार्ड में कुल 05 लाभार्थी भर्ती थे जिनमें से 04 लाभार्थी के प्रसव 28.12.2017 को हुआ था। लाभार्थियों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन प्राप्त हो रहा है। <p>8— प्राथम स्थानों पर प्रसव बहुत ही कम हो रहा है।</p>	<p>प्रदान की।</p> <p>पी0एन0सी0 वार्ड में साफ—सफाई एवं परदे की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करवाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया।</p> <p>लाभार्थी को कम से कम 48 घण्टे तक रोकने हेतु सुनिश्चित करवाने के लिये अधीक्षक को निर्देशित किया।</p>	
	<p>रोगी कल्याण समिति—</p> <ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति हेतु एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त कराये गये पंजिका पर बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। बैठक आयोजन से सम्बन्धित पत्राचार नहीं किया जा रहा है। बैठक का एजेण्डा तथा कार्यवृत्ति में समानता नहीं है। चिकित्सा इकाई सिकन्दराबाद में प्रथम किस्त रु0 500000.00 के सापेक्ष 499889.00 का व्यय किया जा चुका है। तथा धरपा में रु0 125000.00 के सापेक्ष 109376.00 का व्यय किया जा चुका है। किये गये व्यय से सम्बन्धित आवश्यक कार्यादेश, कोटेशन आदि की कमी पायी गई। रोगी कल्याण समिति का आडिट वर्ष 2014–2015 तक पूर्ण है। दो वर्ष का आडिट वर्ष 2015–2016 तथा 2016–2017 का अभी भी शेष है। रोगी कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण माह जनवरी में ड्यू है। 	<p>चिकित्सा अधीक्षक तथा ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 को अवगत कराया कि एन0एच0एम0 द्वारा रोगी कल्याण समिति हेतु राज्य स्तर से ही प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है उसी पर बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की जाय। ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 ने तत्काल डी0सी0पी0एम0 से वार्ता कर पंजिका उपलब्ध कराने हेतु बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की जाय। अधीक्षक तथा सम्बन्धित लिपिक श्री मनोज को रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में आवश्यक पत्राचार, एजेण्डा का निर्धारण तथा बैठक कार्यवाही लिखने के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की तथा आगामी बैठक से प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जो भी कार्य कराये गये है उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यादेश, बिल बाउचर तथा आवश्यकानुसार कोटेशन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये। रोगी कल्याण समिति का पिछले दो वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 का आडिट तत्काल कराने हेतु अधीक्षक तथा ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर को निर्देशित किया। रोगी कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु जिला लेखा प्रबन्धक तथा ब्लाक लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया।</p>	<p>अपर मु0ची0अधिग0 एन0एच0एम0 तथा डी0सी0पी0एम0 द्वारा आगामी 07 दिवस में सभी जगह रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जायेगी।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 15 कार्यदिवस में समस्त सुझावों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।</p>
	<p>वित्तीय अभिलेख—</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय अभिलेखों से सम्बन्धित समस्त कार्य श्री मनोज कुमार, एम0एम0ए0 के द्वारा किया जा रहा था तथा दीपक कौशिक, बी0ए0एम0 द्वारा केवल जे0एस0वाई0 के भुगतान का कार्य किया जा रहा था। विभिन्न कार्यक्रमों में किये गये व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व्यवस्थित नहीं थी। भुगतान किये गये बिल, पी0एफ0एम0एस0 तथा कार्यादेश से सम्बन्धित पत्रावली पूर्ण नहीं थी। कार्यक्रमवार भुगतान की पत्रावली नहीं तैयार है। कैश बुक माह सितम्बर 2017 तक ही पूर्ण थी। ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर को तत्काल कैश 	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक को निर्देशित किया कि वित्त से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु ब्लाक लेखा प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय। विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अपने देख-रेख में अलग—अलग फाइलें तैयार कराई गई तथा कार्यक्रमवार दिशा—निर्देश तथा पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस लगाकर फाइल सही कराई गई। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को तत्काल कैश बुक 	<p>अधीक्षक द्वारा तत्काल ब्लाक लेखा प्रबन्धक को वित्त से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>ब्लाक लेखा प्रबन्धक द्वारा आगामी कार्यदिवस में कैश बुक तैयार कर अवलोकन कराया गया। कुछ</p>

<ul style="list-style-type: none"> बुक पूर्ण करने को निर्देशित किया । तथा धरपा में कैश बुक बनी नहीं है। ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर द्वारा अपने कार्यों का सही से सम्पादन नहीं किया जा रहा है। पी0ओ0एल0 में 21.08.2017 तक कुल 80184/-रु0 का भुगतान किया जा चुका है। जे0एस0एस0के0 के भोजन मद में 25.11.2017 तक 232568/-रु0 का भुगतान किया जा चुका है। भोजन उपलब्ध कराने वाले फर्म से सम्बन्धित कोई कार्यादेश प्राप्त नहीं हुआ। लाभार्थियों को वित्तरीत किये जाने वाले भेजन से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था बार-बार कहने पर आगामी कार्य दिवस 29.12.2017 को श्री मनोज कुमार, एम0एम0ए0 के द्वारा एक पंजिका का अवलोकन कराया गया जिसमें मात्र माह नवम्बर 2017 (21.10.2017 से 20.11.2017) के लाभार्थियों की सूचना अंकित थी और सभी को समान्तर 02 दिन का भोजन वितरण दिखाया गया था। <p>रक्त भंडारण केन्द्र-</p> <ul style="list-style-type: none"> रक्त भंडारण केन्द्र स्थापित है किन्तु क्रियाशील नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 2017 तक तैयार कर आगामी दिवस को दिखाने के निर्देश प्रदान किये गये। जे0एस0एस0के0 में भोजन प्रदान करने वाले फर्म से सम्बन्धित कार्यादेश तथा किन लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उसका विवरण तैयार कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षक तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया तथा आगामी कार्यादिवस में उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। 	<ul style="list-style-type: none"> बिन्दुओं पर कमियं थी जिन्हें सही करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आगामी 07 दिवस में समस्त अभिलेख सही कर लिये जायेंगे।
<p>धरपा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-</p> <p>आशा कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> आशा वाउचर नियमित गतिविधियों एवं अन्य गतिविधियों का अलग अलग बनवाया जा रहा था जोकि मानक के प्रतिकूल है। वाउचर पर बी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी में से किसी के भी हस्ताक्षर का अंकन नहीं था। आशा मास्टर पेमेंट पंजिका तैयार नहीं है बी0सी0पी0एम0 के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बी0सी0पी0एम0 द्वारा आशा क्लस्टर बैठक की पंजिका का अवलोकन नहीं कराया गया। संगिनी मीटिंग हेतु एजेंडा तैयार नहीं किया जा रहा है तथा सामान्य चर्चा के बिन्दु के अनुसार ही बैठक की जा रही है जिसमें चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया है। <p>आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> आर0बी0एस0के0 टीम के सदस्यों से चर्चा की गयी। टीम 02में श्री0 करुनेश आर्या 04 माह से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध कार्ड मानक अनुरूप नहीं था। ए0-4 साइज ऐपर पर फोटोकापी किया हुआ था। टीम ने अवगत कराया कि बच्चों की स्क्रीनिंग के उपरान्त वितरण हेतु आवश्यकतानुसार औषधि की उपलब्धता नहीं है। <p>रोगी कल्याण समिति-</p> <ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति में पहली किस्त रु0 125000/-के सापेक्ष 70 प्रतिशत फंड (109376/-रु0) का व्यय किया जा चुका है लेकिन अभिलेखों को सही तरीके से पूर्ण नहीं किया गया है। बैठक आयोजन से सम्बन्धित पत्राचार नहीं किया जा रहा है। बैठक का एजेंडा तथा कार्यवृत्ति में समानता नहीं है। बिल के साथ कार्यादेश एवं बैंक एडवाइस नहीं लगायी गयी थी। रोगी कल्याण समिति का आडिट वर्ष 2016–2017 तक का पूर्ण है। 	<ul style="list-style-type: none"> आशाओं को विभिन्न गतिविधियों में भुगतान हेतु राज्य स्तर से निर्धारित प्रपत्र/वाउचर पर ही आशाओं से मांग प्राप्त करने हेतु चिकित्सा अधीक्षक तथा बी0सी0पी0एम0 को निर्देशित किया। बी0.सी0पी0एम0 को आशा मास्टर पेमेंट पंजिका तैयार करने हेतु निर्देशित किया तथा बी0पी0एम0 को उक्त कार्य अपने देख-रेख में कराने हेतु निर्देशित किया। आशा भुगतान से सम्बन्धित पी0एफ0एम0एस0 सही से फाइल करने हेतु बी0सी0पी0एम0 व बी0एम0 को निर्देशित किया। आर0बी0एस0के0 टीम संख्या 02 में फिजियोथेरेपिस्ट श्री करुनेश जो कि विगत 04 माह से बिना किया सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं उनकी सूचना जनपरद पर प्रविष्ट करने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को उक्त बिन्दु जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में लेकर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किया। आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि से मानकानुसार कार्ड की प्रिन्टिंग हेतु अपर मु0चि0अधि0 एन0आर0एच0एम0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक तथा बी0सी0पी0एम0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
		<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक तथा बी0सी0पी0एम0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगी। चिकित्सा अधीक्षक तथा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में श्री0 करुनेश के अनुपस्थिति की सूचना प्रस्तुत कर दी जायेगी। स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड तथा औषधि की व्यवस्था अपर मु0चि0अधि0 एन0एच0एम0 तथा नोडल आर0बी0एस0के0 द्वारा आगामी 01 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

	<ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित पत्रावली दिनांक 25.11.2017 को चिट एवं फंड सोसायटी के कार्यालय में जमा किया जा चुका है। <p>वित्तीय अभिलेख</p> <ul style="list-style-type: none"> बी0ए0एम0 द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु मैनुअल—कैश बुक तैयार नहीं की गयी है। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों का रख—रखाव सही से नहीं है। आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 02 वाहनों का भुगतान अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक कुल रु0 296990/- का भुगतान किया गया है लेकिन वाहनों के अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई भी कार्यादेश उपलब्ध नहीं हुआ। सहयोगात्मक परिवेष्काण के अन्तर्गत कुल 02 वाहनों का भुगतान अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक कुल रु0 296990/- का भुगतान किया गया है लेकिन वाहनों के अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई भी कार्यादेश उपलब्ध नहीं हुआ। <p>प्रसव कक्ष धरपा—</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में प्रसव हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध पाये गये एवं साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी। दिनांक 10.06.2016 से 09.10.2017 के मध्य कुल 41 प्रसव हुये हैं। अधीक्षक एवं बी0पी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा ईकाई पर महिला चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स नहीं हैं ऐसिए एक रु0 00एन0एम0 पोस्टेड हैं। चिकित्सकीय ईकाई क्षेत्र के सभी प्रसव नजदीकी पी0पी0सी0 सेंटर खुर्जा में कराये जाते हैं। जे0एस0वाई0 से सम्बन्धित सभी भुगतानों का अभिलेख पी0पी0सी0 ईकाई पर तैयार कराये जाते हैं एवं भुगतान हेतु प्रा0स्या0केन्द्र धरपा पर भेजा जाता है 	<ul style="list-style-type: none"> आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दवाओं की व्यवस्था हेतु प्रदत्त धनराशि से टीम हेतु पर्याप्त मात्रा में औषधि की व्यवस्था हेतु मु0चि0अधि0 एन0 आर0 एच0 एम0 तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक धरपा को कैश बुक तैयार करने हेतु निर्देशित किया तथा जिला लेखा प्रबन्धक को आपे देख—रेख में आगामी दो कार्यादिवस के अन्दर कैश बुक तैयार कराने के निर्देश प्रदान किया। चिकित्सा अधीक्षक तथा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को वाहनों से सम्बन्धित कार्यादेश उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। अपर0मु0चि0 अधिकारी एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता पर 01 महिला चिकित्सक तथा 03 स्टाफ नर्स को प्राथ0स्या0केन्द्र धरपा पर नियुक्त कर 24x7 प्रसव ईकाई के रूप में क्रियाशील करने हेतु निर्देशित किया। 	<p>ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा मैनुअल कैश बुक तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका तथा आगामी दिवस को भ्रमण टीम को अवलोकित कराया गया। आगामी 03 कार्यादिवस में पूर्ण कर लिया जायेगा।</p> <p>टपर मु0चि0अधि0 एच0एम0 एम. द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति जनवरी 2018 की बैठक में कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।</p>
दिनांक 29.12.2017	<p>उपकेन्द्र बरौनी</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्लाक स्थाना के L1 उपकेन्द्र बरौनी का भ्रमण किया गया। उपकेन्द्र पर रु0एन0एम0 श्रीमती मंजू कुमारी उपस्थित थी। रु0एन0एम0 अपने परिवार के साथ उपकेन्द्र पर ही निवास करती है। उपकेन्द्र के अन्तर्गत कुल 7000 आबादी आच्छादित की जाती है तथा कुल 06 आशाये कार्यरत हैं। अप्रैल 2017 से 21 दिसम्बर 2017 तक कुल 153 प्रसव हुए हैं। कुल 06 खतरे वाली गर्भवती रु0एन0एम0 द्वारा चिह्नित किया गया है जिनमें से 03 के प्रसव हो चुके हैं। उपकेन्द्र पर साफ—सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी। उपकेन्द्र पर रंगाई—पुताई का कार्य चल रहा था। प्रसव हेतु उपयोग में लाये जाने वाले सामान की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। प्रसव हेतु उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण का रख—रखाव सही नहीं था। रु0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख यथा उपकेन्द्र पंजिका, आर0सी0एच0रजिस्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 रजिस्टर आदि रु0एन0एम0 के पास उपलब्ध नहीं था। आर0सी0एच0रजिस्टर रु0एन0एम0 के पास था किन्तु उसपर कोई भी सूचना अंकित नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> रु0एन0एम0के0 एन0एच0एम0 द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर आर0सी0एच0 पर सूचनाओं का अंकन करने हेतु निर्देशित किया। प्रसव हेतु उपयोग में लाने वाले उपकरण को निर्जलीकरण हेतु तथा साफ—सफाई से रखने हेतु निर्देशित किया। उपकेन्द्र पर प्रचार—प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, क्लैण्डर व दीवार लेखन नहीं था। रु0एन0एम0 को अनटाइड फंड के टीकाकरण, जे0एस0वाई0 तथा अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रचार—प्रसार हेतु निर्देशित किया। जिला लेखा प्रबन्धक तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को वी0एच0एस0एन0सी0 तथा उपकेन्द्र पंजिका प्रिंटकराकर अति शीघ्र रु0एन0एम0 को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदात किया गया। 	<p>रु0एन0एम0 द्वारा कार्य अपेक्षित। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक भ्रमण कर कार्य सुनिश्चित करायेंगे।</p> <p>जनपद स्तर से शीघ्र ही सभी प्रकार के रजिस्टर उपकेन्द्र पर उपलब्ध करायेंगे। अपर मु0चि0अधि0 रु0एन0एम0 के स्तर से आगामी 15 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।</p>

	<ul style="list-style-type: none"> वी०एच०एस०एन०सी० बैठक से सम्बन्धित पंजिका /रजिस्टर उपलब्ध था किन्तु पूर्ण नहीं था। परिवार कल्याण से सम्बन्धित आवश्यक सामाग्री ए०एन०एम० के पास उपलब्ध थी। आयरन की ब्लू गोली ए०एन०एम० के पास उपलब्ध नहीं था। 	
	<p>कस्तूरबा मेमोरियल जिला महिला चिकित्सालय—</p> <ul style="list-style-type: none"> माह अप्रैल 2017 से 29 दिसंबर 2017 तक कुल 6335 प्रसव हुये हैं जिसके सापेक्ष अब तक कुल 4714 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 के 2074 लाभार्थियों के जे०एस०वाई० का भुगतान लम्बित था जसकों कमिटेड के रूप में रक्षित कराया गया था। वर्ष 2017–18 में 300 लाभार्थियों का भुगतान हुआ है तथा 1740 लाभार्थी अभी भी भुगतान हेतु शेष है। रोगी कल्याण समिति में प्रथम किश्त के रूप में आवंटित रु० 500000/- के सापेक्ष रु० 941000/- का व्यय किया जा चुका है। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठके आयोजित की गई है तथा ए०एच०एम० द्वारा प्रदत्त कराये गये रजिस्टर पर कार्यवाही लिखी गई है किन्तु उक्त में संसोधन की आवश्यकता है। यथा बैठक एजेण्डा तथा कार्यवाही पूर्ण नहीं है। महिला चिकित्सालय में किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित नहीं है। प्रसव कक्ष में स्टाफ नर्स द्वारा दो प्रसव पंजिका पर सूचनाओं का अंकन किया जा रहा था। पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। एच०आर०पी० की संकलित सूचना नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2016–17 के शेष 1740 लाभार्थी के भुगतान हेतु चिकित्सा अधीक्षिका को अवगत कराया तथा सुझाव दिया कि जो लाभार्थी लौट कर भुगतान हेतु नहीं आ रहे हैं उनके पते पर पोर्स्ट कार्ड से सूचना प्रेषित कर उन्हें भुगतान लेने हेतु सूचित करें। रोगी कल्याण समिति के मद में स्वीकृत से अधिक व्यय किया गया है जो कि वित्तीय अनियमितता में आता है। रोगी कल्याण समिति के एजेण्डा तथा कार्यवृत्ति में कठिपय समानता नहीं थी जिस हेतु चिकित्सा अधीक्षिका तथा सम्बन्धित लेखा लिपिक को अवगत कराया। प्रसव कक्ष में एक ही पंजिका पर सूचना अंकन कराने हेतु चिकित्सा अधीक्षिका तथा सम्बन्धित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया। एच०आर०पी० की सूचना तैयार कराने तथा उनका फालोअप से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने हेतु चिकित्सा अधीक्षिका तथा महिला चिकित्सक को निर्देशित किया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,अपर मु०चि० अधिकारी तथा समस्त साम०स्वा०केन्द्र के प्रभारी के साथ बैठक—

Major Findings from the Visit	Intervention/Activities Identified	Level of Intervention	Efforts of the team
<p>सामान्य स्थिति</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाईयों में प्रत्येक स्तर पर मरीजों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान किये जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था ज्यादातर ईकाइयों में संतोषजनक है, परन्तु कर्मियों के मध्य इन्फेक्शन प्रिवेन्सन के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। एक्सरे कक्ष में लेड एप्रीन उपलब्ध नहीं है। इमरजेन्सी रजिस्टर्स में अपूर्ण जानकारी है। अभिलेखों का रख-रखाव समुचित तरीके से 	<ul style="list-style-type: none"> समस्त मरीजों को कामन रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान किया जाये। सफाई सेवा प्रदाताओं को इन्फेक्शन प्रिवेन्सन की मूलभूत जानकारी प्रदान की जाये। अभिलेखों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये। 	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित अनुभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय</p>	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई प्रभारियों को इन्फेक्शन प्रिवेन्सन की मूलभूत जानकारी प्रदान की गयी तथा अनुरोध किया गया कि यह जानकारी समस्त कर्मचारियों को उपलब्ध करायें। कामन रजिस्ट्रेशन की व्यवहारिक पहलूओं से चिकित्सा इकाई प्रभारियों को अवगत कराया गया। संयुक्त चिकित्सालय

नहीं रखा गया था।			सिकन्दराबाद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धरपा के चिकित्सा इकाई प्रभारियों को सम्बन्धित प्रपत्रों को उपलब्ध कराया गया।
परिवार कल्याण कार्यक्रम <ol style="list-style-type: none"> उपकेन्द्र स्तर तक ई०सी०आर० रजिस्टर अद्युनान्त नहीं है। नसबन्दी कार्यक्रम सम्बन्धित नवीन प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध प्रपत्रों पर जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही है। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट के सम्बन्धित जानकारी भी अपूर्ण है। आटो व्हेलेब रजिस्टर्स उपलब्ध नहीं है। नई पहल किट कथ नहीं की गयी है। सास—बहु सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था। 	<ol style="list-style-type: none"> नवीन प्रपत्रों एवं रजिस्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। सेवा प्रदाता की क्षमता बृद्धि किया जाना। 	मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी परिवार कल्याण एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय	सम्बन्धित प्रपत्रों के मुद्रण कराये जाने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निर्देशित किया गया। जिला महिला चिकित्सालय में महिला नसबन्दी के सेवा प्रदाताओं को सम्बन्धित प्रपत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। आटो व्हेलेब रजिस्टर्स का फार्मेट एवं उसकी नियमित रखरखाव के सम्बन्ध में क्षमता बृद्धिकरण किया गया। नई पहल किट का टेंडर फ्लोट करवा दिया गया है। सास—बहु सम्मेलन के आयोजन हेतु कैलेप्डर तैयार कराकर मुख्य चिकित्साधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कराया गया।
<u>पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट</u> <ol style="list-style-type: none"> पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट का पालन कठोरता से नहीं किया जा रहा है। एक्ट से सम्बन्धित बैठकों का कोई कार्यवृत्त/रिकार्ड अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। अल्ट्रासाउंड रूम के अन्दर “भ्रण लिंग जॉच नहीं की जाती है” का डिसप्ले नहीं था। फार्म—एफ अपूर्ण हैं तथा सम्बन्धित प्रपत्रों पर नियमित प्रेषण नहीं किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट का पालन कठोरता से कराया जाये। अल्ट्रासाउंड रूम के अन्दर “भ्रण लिंग जॉच नहीं की जाती है” का डिसप्ले लगाया जाये। फार्म—एफ पर सम्पूर्ण जानकारी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों पर नियमित प्रेषण किया जाये। 	मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित अनुभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय	सम्बन्धित प्रपत्रों को भरे जाने हेतु सेवा प्रदाताओं को जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
ब्लड स्टोरेज <ol style="list-style-type: none"> ब्लड स्टोरेज यूनिट में रिकार्डों का रख—रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया। सिफलिस एवं मलेरिया की जॉच हेतु कोई सुविधा नहीं पायी गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> रिकार्डों का रख—रखाव के सुदृढ़ीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की क्षमता बृद्धि की जाये। सिफलिस एवं मलेरिया की जॉच हेतु व्यवस्था की जाये। 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं रक्त कोष प्रभारी	रिकार्डों का रख—रखाव के सुदृढ़ीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारी की अनुपलब्धता में लैब टेक्नीशियन की क्षमता बृद्धि की गयी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय को सिफलिस एवं मलेरिया की जॉच हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
मातृ स्वास्थ्य <ol style="list-style-type: none"> प्रसव पंजीका ठीक से नहीं भरी गयी थी। केस शीट एवं पाटोग्राफ नहीं भरा गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> रिकार्डों का रख—रखाव के सुदृढ़ीकरण की जाये। एच०आर०पी० का विन्हिकरण करके 	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला	सम०स्वा०केन्द्र सिकन्दराबाद में 7—ट्रे को व्यवस्थित करवाया गया। लैबर रूम प्रभारी को औजारों को बिसंक्रमित किये

1. प्रसव पंजीका ठीक से नहीं भरी थी।	की जाये।
2. केस चीट एवं पाटोप्रफ नहीं भरा गया था।	एच०आर०पी० का चिह्निकरण करके
3. एच०आर०पी० की सकलित सूचना उपलब्ध नहीं पायी गयी।	उसकी सूचना रजिस्टर में संकलित की जाये ताकि उनका फालोअप किया जा सके।
4. 7-ट्रै उपलब्ध पाये गये, लेकिन उसका इस्ट्रालाइंजेसन नहीं किया गया था।	एच०आर०पी० का चिह्निकरण करके उसकी सूचना रजिस्टर में संकलित की जाये ताकि उनका फालोअप किया जाए।
5. प्रोटोकाल पार्टर नहीं पाया गया।	
6. डाइट रजिस्टर नहीं पाया गया।	

दिनांक 30.12.2017 को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में समस्त अपर मुख्य विकासिता अधिकारी / नोडल अधिकारी सम्बन्धित कार्यक्रम तथा जिला एवं महिला विकासालय के अधीक्षक एवं अधीक्षिका तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिसमें भ्रमण की गयी इकाईयों से सम्बन्धित निरीक्षण विन्दुओं से अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि भ्रमण के दौरान इंगित की गयी कमियों को दूर करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने का काट करें। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यक्रम प्रमाणियों को आगामी विलीय वर्ष 2018-19 हेतु पी0आई0पी० के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी तथा निरीक्षित की गयी कमियों के निरकरण हेतु सम्बन्धित प्रस्ताव पी0आई0पी० में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(निलिमा पाठक)
परामर्शदाता, ब्लड सेल

(सारिता गुजारा)
आशा कार्यक्रम प्रबन्धक, ए0आर०सी०

(दायू पक्ज सक्सेना)

उप महाप्रबन्धक, परिवार कर्तव्यान

व्यवस्थित करवाया गया। लैबर रूम प्रभारी को औजारों को विस्कमित किये जाने की प्रक्रिया बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
अधीक्षक, सामूहिक्योंकोच्च को आठो वर्तेव ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

आर०सी०एच०	आर०सी०एच०
मुख्य विकास अधीक्षिका, जिला महिला विकासालय	व्यवस्थित करवाया गया। लैबर रूम प्रभारी को औजारों को विस्कमित किये जाने की प्रक्रिया बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।